

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)

परिपत्र

क्रमांक 438/दो-1-8/19
प्रति,

होशंगाबाद दिनांक 23.03.2020

- (1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण,
- (2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण,
- (3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद,
- (4) अध्यक्ष/सचिव, अभिभाषक संघ,
होशंगाबाद/इटारसी/पिपरिया/सोहागपुर/सिवनीमालवा, जिला
होशंगाबाद म.प्र.
- (5) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद,
- (6) सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होशंगाबाद,
- (7) लोक अभियोजक होशंगाबाद,
- (8) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद,

विषय:- दिनांक 23.03.2020 एवं 24.03.2020 को न्यायालय बंद रखे जाने बावत्।
संदर्भ:- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर का ज्ञापन क्रमांक क्यू-2
जबलपुर दिनांक 22.03.2020 एवं क्यू-4 जबलपुर दिनांक 23.03.2020

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्रों के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए होशंगाबाद जिले में दिनांक 23 एवं 24 मार्च 2020 को जिला न्यायालय एवं परिवार न्यायालय बंद रहेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण अपने-अपने मुख्यालयों पर अपने घरों में उपलब्ध रहेंगे एवं उनकी सेवाओं की आवश्यकता होने पर वे स्वयं को उपलब्ध कराएंगे। उक्त दिनांकों में केवल रिमाण्ड एवं जमानत संबंधी कार्य जैसे छुट्टियों में किये जाते हैं उसी भांति किये जाएंगे।

(चन्द्रेश कुमार खरे)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक 438/दो-1-8/19
प्रतिलिपि

होशंगाबाद दिनांक 23.03.2020

- (1) रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
- (2) जिला जनसंपर्क अधिकारी होशंगाबाद की ओर जिला व संभग के दैनिक समाचार पत्र क्रमशः दैनिक भास्कर, जागरण एवं पत्रिका में प्रकाशनार्थ कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(चन्द्रेश कुमार खरे)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)